# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत——जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

विजय सिंह **बनाम अमर सिंह वगै0**

किस्म मुकदमा– धारा 73 (2) नगरपालिका अधि0 2009 नम्बर–14 –सन्– 2015

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 16.07.2024 | अधिवक्ता निगरानीकार उपस्थित। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं. 01 उपस्थित। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 2 उपस्थित। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि धारा 73(2) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को नहीं है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।<br>अधिवक्ता निगरानीकार ने कथन किया कि धारा 73 (2) के अधीन सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को है।<br>हमने उभय पक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया।<br>राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के प्रावधान निम्न प्रकार हैः'–<br>(2)(क) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त कोई अधिकारी किसी नगर पालिका या किसी नगर पालिका के अध्यक्ष या अधिकारी द्वारा या उसकी और से किसी नगरपालिक भूमि या सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आवंटित करने या अन्तरित करने के लिए किये गये किसी प्रस्ताव की शुद्धता, वैधता, या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के लिए सुसंगत अभिलेख मंगवा सकेगा और ऐसा करते समय यह निर्देश दे सकेगा कि मामले के परीक्षण होने तक नगरपालिक भूमि या सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आवंटित करने या अन्तरित करने का प्रस्ताव प्रास्थगित रहेगा और उपधारा 2 (ख) के अधीन राज्य सरकार का या प्राधिकृत अधिकारी के विनिश्चय होने तक उस पर आगे कोई कार्यवाही नही की जावेगी।<br>(ख) यदि अभिलेख के परीक्षण के पश्चात और इस प्रकार के प्रस्ताव मे हितबद्व व्यक्तियो को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी को सह समाधान हो जावें कि नगरपालिक भूमि या सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आवंटित करने या अन्तरित करने का प्रस्ताव इस उपबन्धो के अनुसार नही है या उनका उल्लंघन करता है तो वह राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उस नगरपालिक भूमि या सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आवंटित करने या अन्तरित करने के लिए किये गये प्रस्ताव को या उसके अनुसरण में की गई किसी कार्रवाई या कार्यवाही को पूर्णतः या भागतः उपान्तरित, रद्द या विखंडित कर सकेगा या ऐसी कोई भी अन्य निर्देश दे सकेगा, जो वह उचित समझे।<br>साथ ही इस सम्बन्ध में गुलाब जिलानी बनाम स्वायत्त संस्था विभाग द्वारा निदेशक, सी–स्कीम जयपुर एवं अन्य 2018 (2) आर.एल.डब्ल्यू. 1047–2018(1) सिविल टाइम्स (राजस्थान) 26 में प्रतिपादित निम्न विवरण अवलोकनीय हैः–<br>"राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 धारा 73(2), 327– कलक्टर ने पंजीकृत पट्टा निरस्त किया– कलक्टर को [illegible] प्राप्त है और न ही राज्य सरकार ने 2009 के अधिनियम की धारा 73(2) को तहत शक्ति का प्रयोग करने हेतु उसे अधिकृत किया गया है– धारा 73(2) नगरपालिक भूमि का पट्टा/विक्रय करने की प्रस्ताव की अवस्था मे ही लागू होती है, न कि उसके पट्टा देने/विक्रय करने और पंजीयन करने की पश्चातवर्ती | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:43:07 IST
Reason: SelfAttested

Devendra

अवस्था में – अभिनिर्धारित – पंजीकृत पट्टा/लीज निरस्त करने का जिला कलक्टर का आदेश अधिकारिता विहीन है। अतः अभिखण्डित करने योग्य है।''

इस सम्बन्ध में स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांकः प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/15/5843 दिनांक 10.06.2016 अवलोकनीय है जिसमें यह निर्देश प्रदान किये गये हैः–

'' राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 की उप–धारा (2) सपठित धारा 237 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को उक्त धारा 73 के अधीन सत्पत्ति के अन्तरण और संविधा से सम्बन्धित प्रकरणों की सुनवाई कर निस्तारण करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत (Authorized) किया जाता है।''

यहॉ यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा 73(2) के तहत सुनवाई के अधिकार राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर को दिये जाने के सम्बन्ध में कोई आदेश प्रसारित किये हो, इस संबंध मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किय गये है।

हम निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर ही खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी इस लिबर्टी के साथ खारिज की जाती है कि निगरानीकार सक्षम प्राधिकारी को निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

Devendra

जिला कलक्टर
दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:43:07 IST
Reason: SelfAttested